

**प्रथम सूचना रिपोर्ट**

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला ए.सी.बी जोधपुर ग्रामीण थाना ए.सी.बी, सी.पी.एस, जयपुर वर्ष 2022

प्र.इ.रि.सं..... 24/22 दिनांक..... 28/1/22

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारायें 7  
 (2) अधिनियम ..... – भा.द.स ..... – धारायें ..... –  
 (3) अधिनियम ..... – धारायें ..... –  
 (4) अन्य अधिनियम व धाराये ..... –

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 657 समय 2.00 P.M.

(ब) अपराध के घटने का दिन :– 27.01.2022 समय 11.33 पी.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– 17.12.2021 समय 01.15 पी.एम.

4. सूचना किस्म :– लिखित

5. घटनास्थल :– तहसील कार्यालय परिसर, शेरगढ़ जिला जोधपुर।

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण चौकी से बिंदु पश्चिम, करीब 120 किमी।  
 (ब) पता :– तहसील कार्यालय परिसर, शेरगढ़ जिला जोधपुर।

बीट संख्या ..... – जरायमदेही सं... –

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना ..... – जिला ..... –

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम :– चैनसिंह

(ब) पिता का नाम : श्री रेवत सिंह

(स) जन्म तिथि : 33 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता :– भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या ..... – जारी होने की तिथि ... –

जारी होने की जगह ..... –

(र) व्यवसाय :– खेतीबाड़ी

(ल) पता :– निवासी ग्राम पंचायत हनवन्त नगर तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

01. श्री परसराम पुत्र श्री बिहारीलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मारकपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर हाल पटवारी, पटवार मण्डल शेरगढ़ अतिरिक्त कार्यभार सिहान्दा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

8. शिकायत / इतिला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण

9. चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ न्तर्थी करें।)

10. चोरी हुई सम्पत्ति कुल मूल्य / रिश्वती राशि .... 1,000/- रुपये

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट), (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0), (यदि कोई हो तो)

12. प्र.सू.रि. की विषय वस्तु (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ न्तर्थी करें।)

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,  
 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,  
 जोधपुर ग्रामीण।

विषय – रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि मैं प्रार्थी चैन सिंह पुत्र श्री रेवत सिंह उम्र 30 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम पंचायत हनवन्त नगर तह0 शेरगढ जिला जोधपुर का रहने वाला हूँ। हमारी सामलाती कब्जा काश्त भूमि खसरा सं0 1905 रकबा 81.02 ग्राम हनवन्त नगर पटवार क्षेत्र सिहांदा में आई हुई है। जिसमें से मेरे हिस्से में 20.05 बीघा जमीन है। मैंने मेरी उक्त जमीन में से 0.13 बीघा सार्वजनिक प्रयोग हेतु ग्राम पंचायत हनवन्त नगर के हित में दान की गई थी। मेरे द्वारा ग्राम पंचायत के हित में दान की गई भूमि का नामान्तरण दर्ज कर उसे आनलाईन चढाने हेतु हल्का पटवारी श्री परसाराम से सम्पर्क किया तो श्री परसाराम हल्का पटवारी से मेरे द्वारा ग्राम पंचायत हनवन्तनगर के हित में दान की गई जमीन का नामान्तरण दर्ज कर उसे आनलाईन चढाने के बाद उसकी नकल जारी करने की एवज में 5,000/- रु0 रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। मैं मेरे जायज कार्य के लिये पटवारी श्री परसाराम पटवार हल्का सिहांदा को कोई रिश्वत राशि नहीं देकर उसके रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी श्री परसाराम पटवारी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं हैं और न ही कोई रूपयों का देन-लेन बाकी हैं।

रिपोर्ट पेश करता हूँ कानूनी कार्यवाही करावें।

सही /-	सही /-	सही /-	प्रार्थी
स्वतन्त्र गवाह श्री ओम प्रकाश	श्री ललीतसिंह	(अमराराम खोखर) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण	सही /-

### कार्यवाही पुलिस

दिनांक 17.12.2021 को वक्त 01.00 पी.एम. पर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण ने जरिये मोबाइल मन् निरीक्षक पुलिस को निर्देशित किया कि परिवादी श्री चैनसिंह गोपनीय कार्यवाही करवाने हेतु उपस्थित आ रहे हैं आप परिवादी श्री चैनसिंह द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करें। वक्त 01.15 पी.एम. पर यह लिखित रिपोर्ट परिवादी श्री चैन सिंह पुत्र श्री रेवत सिंह उम्र 30 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम पंचायत हनवन्त नगर तह0 शेरगढ जिला जोधपुर ने व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत की व दरियाफ्त पर बताया कि हमारी सामलाती कब्जा काश्त भूमि खसरा सं0 1905 रकबा 81.02 ग्राम हनवन्त नगर पटवार क्षेत्र सिहांदा तहसील शेरगढ में आई हुई है। जिसमें से मेरे हिस्से में 20.05 बीघा जमीन है। मैंने मेरी उक्त जमीन में से 0.13 बीघा सार्वजनिक प्रयोग हेतु ग्राम पंचायत हनवन्त नगर के हित में दान की गई थी। मेरे द्वारा ग्राम पंचायत के हित में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दान की गई भूमि का नामान्तरण दर्ज करने हेतु हल्का पटवारी श्री परसाराम से सम्पर्क किया तो श्री परसाराम हल्का पटवारी ने मेरे द्वारा ग्राम पंचायत हनवन्तनगर के हित में दान की गई जमीन का नामान्तरण दर्ज कर नकल जारी करने की एवज में 5000/- रु0 रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। मैं श्री परसाराम पटवारी, पटवार हल्का सिहांदा को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी श्री परसाराम पटवारी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं और न ही किसी तरह का लेन-देन है। रिपोर्ट करता हूँ कानूनी कार्यवाही करें। इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाता है। जिस पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाने का निर्णय लिया जाकर वक्त 01.35 पी.एम. पर कार्यालय के कानि. श्री संजय 587 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर कानि. श्री संजय को परिवादी श्री चैनसिंह से परिचय करवाकर डिजिटल वायैस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी से निकालकर परिवादी श्री चैनसिंह एवं श्री संजय कानि. को डिजिटल वायैस रिकार्डर को चलाना व बंद करना समझाया गया। परिवादी श्री चैनसिंह ने बताया कि आज वापिस शेरगढ पहुंचने तक काफी समय लग जायेगा। इसलिये कल दिनांक 18.12.2021 को ही पटवारी श्री परसाराम से मांग सत्यापन वार्ता हो सकेगी। जिस कार्यालय का डिजिटल वायैस रिकार्डर पुनः कार्यालय की सुरक्षित अलमारी में रखा गया एवं परिवादी श्री चैनसिंह

व श्री संजय कानिं<sup>0</sup> के आपस में मोबाईल नम्बर का आदान-प्रदान करवाया गया जाकर कानिं<sup>0</sup> श्री संजय को कल दिनांक 18.12.2021 को मेरे निर्देशानुसार मांग सत्यापन वार्ता हेतु जाने बाबत निर्देशित किया तथा वक्त 02.00 पी.एम. पर परिवादी श्री चैनसिंह को हिदायत की गई कि कल दिनांक 18.12.2021 को कानिं<sup>0</sup> श्री संजय द्वारा शेरगढ़ पहुंच आपसे जरिये मोबाईल सम्पर्क करने पर शेरगढ़ में उपस्थित मिलें आदि आवश्यक गोपनीयता की हिदायत कर रवाना किया।

दिनांक 18.12.2021 को वक्त 08.00 ए.एम. पर कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर कार्यालय की सुरक्षित अलमारी से निकाल कर कानिं<sup>0</sup> श्री संजय को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि कार्यालय से रवाना हो शेरगढ़ पहुंच परिवादी से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर परिवादी द्वारा बताये अनुसार तहसील कार्यालय शेरगढ़ से थोड़ा पहले डिजिटल वाईस रिकॉर्ड चालु कर परिवादी श्री चैन सिंह को सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु शेरगढ़ के लिये रवाना किया। वक्त 01.25 पी.एम. पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु गये हुए कानि। श्री संजय 587 ने अपने मोबाईल से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर वार्ता कर बताया कि मैं कार्यालय से रवाना हो मंछापूर्ण बालाजी मंदिर चौराहा, फलसूण्ड रोड़ बस स्टेण्ड के पास, शेरगढ़ पहुंच परिवादी से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया जाने पर परिवादी उक्त स्थान पर मोटर साईकिल सहित उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि आज मेरी पटवारी श्री परसाराम से मोबाईल पर वार्ता हुई थी, श्री परसाराम पटवारी ने स्वयं का तहसील कार्यालय के सामने स्थित दुकान पर बैठा होना बताते हुए मुझे वहीं दुकान पर बुलाया है। जिस पर श्री संजय कानिं<sup>0</sup> को गोपनियता रखते हुए तहसील कार्यालय से थोड़ा पहले कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द करने की हिदायत की गई। वक्त 01.52 पी.एम. पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु गये हुए कानि। श्री संजय 587 ने अपने मोबाईल से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर वार्ता कर बताया कि तहसील कार्यालय शेरगढ़ से थोड़ा पहले मैंने कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी श्री चैन सिंह के पहने हुए कमीज की उपर की बांधी जेब में रखा जाकर परिवादी को संदिग्ध कर्मचारी से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु तहसील कार्यालय शेरगढ़ के सामने पटवारी द्वारा बतायी गई दुकान की तरफ मोटर साईकिल से रवाना किया गया तथा मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए तहसील कार्यालय के आस-पास ही गोपनीय रूप से खड़ा रहा था। कुछ समय बाद परिवादी श्री चैनसिंह मोटर साईकिल से मेरे पास उपस्थित आया व कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्ड मुझे पेश किया, जिसे मैंने स्वीच ऑफ कर अपने पास रखा है। परिवादी ने बताया कि मेरी श्री परसाराम पटवारी से तहसील कार्यालय शेरगढ़ के सामने स्थित दुकान पर रिश्वती राशि की मांग के सम्बन्ध में वार्ता हो गई तथा रूपये का प्रबन्ध होने पर मैं सी.आई. साहब से बात कर लुंगा। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कानिं<sup>0</sup> श्री संजय को हिदायत दी गई कि परिवादी श्री चैन सिंह को आईन्दा मेरे निर्देशानुसार एसीबी कार्यालय जोधुपर ग्रामीण में पहुंचने हेतु पाबन्द कर स्वयं डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सहित कार्यालय पहुंचने हेतु निर्देशित किया गया। वक्त 07.30 पी.एम. पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु गया कानिं<sup>0</sup> संजय कार्यालय में उपस्थित आया व कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ हालात में पेश कर उपरोक्त हालात पुनः दोहराये गये। इस कार्यालय हाजा के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालु कर परिवादी श्री चैनसिंह व श्री परसाराम पटवारी के बीच हुई वार्तालाप को सुनने से पाया गया कि रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग किये जाने की पुष्टि हुई है। आईन्दा परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के रूबरू उक्त वार्तालाप का फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी। कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा गया। तत्पश्चात वक्त 07.30 पी.एम. पर परिवादी श्री चैनसिंह से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो बताया कि आज रिश्वती राशि की व्यवस्था नहीं हुई हैं होने पर आपसे सम्पर्क कर लुंगा। जिस पर उसे हिदायत दी गई की रिश्वती राशि की व्यवस्था होते ही टेलिफोन कर बता देना तथा फिर गोपनीय कार्यवाही हेतु तलब करने पर एसीबी कार्यालय जोधुपर ग्रामीण में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया।

दिनांक 19.12.2021 को वक्त 01.15 पी.एम. पर परिवादी श्री चैनसिंह ने जरिये मोबाईल सम्पर्क कर बताया कि मेरे पास रिश्वती राशि की व्यवस्था हो गई हैं तथा मैं कल सुबह आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा।

दिनांक 20.12.2021 को वक्त 01.50 पी.एम. पर कल दिनांक 19.12.2021 को परिवादी श्री चैनसिंह से हुई मोबाईल वार्ता के कम में गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान तलब करने हेतु अतिं<sup>0</sup> मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभि<sup>0</sup> विभाग क्षेत्र (प्रथम), जोधुपर को पत्र कमांक 2149 दि<sup>0</sup> 20.12.2021 तैयार कर श्री ताराचन्द हैड कानिं<sup>0</sup> 112 को सुपुर्द कर रवाना किया गया जो वक्त 03.15 पी.एम. हाजिर कार्यालय आया व कार्यालय के पत्र कमांक 2449 दि<sup>0</sup> 20.12.2021 की कार्यालय प्रति प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि अतिं<sup>0</sup> मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभि<sup>0</sup> विभाग क्षेत्र (प्रथम), जोधुपर से स्वतंत्र गवाहान श्री ओम प्रकाश सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री ललित सिंह को सहायक को जोधुपर पाबन्द करवा गया। तत्पश्चात वक्त 03.30 पी.एम. पर पाबन्द शुदा दो स्वतंत्र गवाह हाजिर आये। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय दिया जाकर उनका

परिचय लिया गया तो उन्होंने कमशः अपना नाम श्री ओम प्रकाश पुत्र स्व० श्री वीरुमल जी उम्र 49 जाति सिंधी निवासी 2 छ 25 मधुबन हाउसिंग बोर्ड जोधपुर पुलिस थाना भगत की कोठी, जोधपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियन्ता विभाग क्षेत्र (प्रथम) जोधपुर, मोबाईल नम्बर 8385822836 एवं श्री ललित सिंह पुत्र स्व० श्री मंगल सिंह जी उम्र 27 साल जाति रावणा राजपूत निवासी खसरा स० 03 प्लॉट सं० 183 नवदुर्गा कॉलोनी, झालामण्ड जोधपुर पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियन्ता विभाग क्षेत्र (प्रथम) जोधपुर, मोबाईल नम्बर 9413462286 होना बताया। तत्पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्त्रव्य से अवगत करवाया गया। इसके बाद वक्त 07.02 पी.एम. पर परिवादी श्री चैनसिंह ने जरिये मोबाईल बताया कि संदिग्ध कर्मचारी अपने कार्यालय एवं निवास पर उपस्थित नहीं होकर गंतव्य से बाहर हैं ऐसी स्थिति में संदिग्ध के बाहर होने के कारण अग्रिम ट्रैप कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने से पूर्व से कार्यालय में उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान को आईन्दा गोपनीय कार्यवाही हेतु तलब करने पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर गोपनीयता बरतने की हीदायत कर रवाना किया।

दिनांक 05.01.2022 को वक्त 09.14 पी.एम. पर परिवादी श्री चैनसिंह ने अपने मोबाईल नम्बर 9571437309 से मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर वार्ता कर बताया कि संदिग्ध पटवारी अपने कार्यालय में उपस्थित हो गया हैं एवं अग्रिम ट्रैप कार्यवाही हेतु मैं कल दिनांक 06.01.2022 को दोपहर 12.00 बजे तक आपके कार्यालय में उपस्थित आ रहा हूँ। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि साथ लेकर आवें।

दिनांक 06.01.2022 को वक्त 10.44 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के मोबाईल नम्बर 9571437309 पर कॉल कर वार्ता की गई तो परिवादी ने अपने गांव से बस द्वारा जोधपुर के लिए रिश्वति राशि सहित रवाना होना बताया। तत्पश्चात पूर्व से पाबन्द स्वतन्त्र गवाहान को गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया एवं गोपनीय कार्यवाही हेतु राजकीय वाहन एवं ब्यूरो जाब्ता की आवश्यकता होने से श्री भोपालसिंह लखावत अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि. ब्यूरो जोधपुर से वार्ता कर राजकीय वाहन एवं ब्यूरो जाब्ता भिवजाये जाने हेतु निवेदन किया। वक्त 10.44 ए.एम. पर श्री प्रेमसिंह कानि. चालक एसीबी कार्यालय जोधपुर से सरकारी वाहन टवेरा संख्या आर.जे. 14 यूसी 3352 लेकर हाजर आया एवं वक्त 12.30 पी.एम. पर पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री ओमप्रकाश एवं श्री ललीत सिंह हाजर आये। वक्त 02.50 पी.एम. पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री चैनसिंह कार्यालय में हाजिर आया एवं परिवादी ने बताया कि मैं आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली एक हजार रुपये की राशि साथ लेकर आया हूँ। जिस पर वक्त सत्यापन हुई वार्ता में आरोपी द्वारा 1200/- रुपये रिश्वति राशि की मांग की जाने के संबंध में पूछने पर परिवादी ने बताया कि श्री परसाराम पटवारी परसो शाम को अचानक मेरे से मिल जाने एवं पटवारी द्वारा रिश्वति राशि की मांग करने पर मेरे द्वारा 200/- रुपये उसी समय दे दिये हैं। अब रिश्वति राशि मांग सत्यापन के अनुसार एक हजार रुपये रिश्वति राशि दिया जाना ही शेष हैं। कार्यालय में पूर्व से उपस्थित दोनों गवाहान व परिवादी का आपसी परिचय करवाया जाकर परिवादी श्री चैनसिंह द्वारा पेश रिपोर्ट मय दस्तावेज का दोनों गवाहान को अवलोकन करवाया जाकर आरोपी श्री परसाराम पटवारी एवं परिवादी श्री चैनसिंह के मध्य दिनांक 18.12.2021 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के संबंध में हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हैं। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा से निकाल कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर उक्त रिकॉर्ड वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाये गये तो आरोपी द्वारा वक्त सत्यापन 1200/- रुपये रिश्वती राशि प्राप्त करने हेतु सहमति देने की पृष्ठि हुई। दोनों गवाहान द्वारा परिवादी श्री चैनसिंह से परिवाद में अंकित तथ्यो व रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध में पूछताछ कर संतुष्ट होने पर ट्रैप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की मौखिक सहमति प्रदान कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं संलग्न दस्तावेज पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वीच ऑफ कर अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। तत्पश्चात वक्त 03.10 पी.एम. पर परिवादी श्री चैनसिंह ने रुबरु स्वतन्त्र गवाहान के आरोपी को रिश्वत में दिये जाने वाले 1000/- रु 500-500 रु. के कुल 2 नोट प्रस्तुत किये। उपरोक्त नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी भारतीय मुद्रा के नोट नंबर एवं सुपुर्दगी में अंकित किये गये। सभी नोटों पर कार्यालय के मालखाना से श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 से फिनोफथलीन पाउडर की शिशि मंगवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त नोटों को एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर हल्का हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री ओमप्रकाश से लिवाई गई तो परिवादी के पास मोबाईल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि/अन्य सामान नहीं रहने दिया गया। उक्त नोट परिवादी के पहनी पेन की सामने की दाहिनी जेब में श्री ताराचन्द हैड कानि. से रखवाये गये। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई की रिश्वती राशि को रास्ते में हाथ ना लगाये व आरोपी द्वारा रिश्वति राशि प्राप्त करने के पश्चात अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल कर गोपनीय इशारा करें। गवाहान व ट्रैप पार्टी को भी आरोपीगण व परिवादी के

मध्य होने वाली बातचीत व लेन-देन को यथा सम्भव सुनने व देखने की हिदायत की। श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 के हाथ धोवन की कार्यवाही की जाकर दृष्टांत फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया को समझाया गया। इसके बाद दृष्टांत मे काम लिया गया ट्रेप सामग्री किट को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बॉक्स मे रखवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को सुरक्षित कार्यालय हाजा की अलमारी मे रखवाकर श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को कार्यालय मे रहने की हिदायत की गई। पुराना अखबार जिस पर राशि रख कर फिनोफथलीन पाउडर लगाया था उसके रूबरू गवाहान जलाया जाकर नष्ट कराया गया। इसके पश्चात परिवादी को छोड़कर समस्त ट्रेप पार्टी की आपस मे तलाशी लिवाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं रहने दी गई। सभी के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये।

दिनांक 06.01.2022 को वक्त 03.40 पी.एम. पर मन् श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री ओमप्रकाश, श्री ललीतसिंह, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड कानि० 44, एवं परिवादी श्री चैनसिंह के मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आर जे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम कानि. एवं सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 3352 चालक श्री प्रेमसिंह एवं ब्यूरो जाप्ता श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री संजय कानि. 587, श्री ताराचन्द कानि. 176, श्री मुकेश कानि. 324, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से शेरगढ़ की तरफ रवाना हुए। वक्त 05.40 पी.एम. पर मन् श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के दुधाबेरी के पास पहुँचे एवं पीछे सरकारी वाहन टवेरा संख्या आर.जे. 14 यूसी 3352 में चल रहे कानि. श्री रामकुमार सिंह ने अपने मोबाईल से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर वार्ता कर सरकारी वाहन टवेरा संख्या आर.जे. 14 यूसी 3352 में तकनिकी खराबी आने से वाहन गर्म होकर बन्द होने बाबत अवगत करवाया जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के पीछे चल रहे सरकारी वाहन टवेरा आर.जे. 14 यूसी 3352 के इन्तजार हेतु रुका रहा। तत्पश्चात वक्त 05.50 पी.एम. तक सरकारी वाहन टवेरा संख्या आर.जे. 14 यूसी 3352 मन् निरीक्षक पुलिस तक नहीं पहुँचने के कारण मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के रवाना हो सरकारी वाहन टवेरा संख्या आर.जे. 14 यूसी 3352 के पास पहुँचा। वक्त 06.40 पी.एम. तक सरकारी वाहन टवेरा संख्या आर.जे. 14 यूसी 3352 की तकनिकी खराबी ठीक नहीं होने एवं रात्रि का समय हो जाने के कारण हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन कर आईन्दा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जाकर परिवादी को पूर्व में सुपुर्द की गई रिश्वति राशि गवाह श्री ललितसिंह से परिवादी की जेब से निकलवाई जाकर एक सफेद कागज में लपेटवाकर गवाह के पास ही सुरक्षित रखवाई गई। परिवादी श्री चैनसिंह ने बताया कि मुझे मेरे घरेलु कार्यों से करीब 10 दिन के लिये जोधपुर से बाहर जाना है, मैं मेरे घरेलु कार्य पूर्ण करने के बाद आपसे पुनः सम्पर्क कर लूँगा। तत्पश्चात परिवादी को आईन्दा मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा तलब करने पर मेरे द्वारा बताये गये स्थान पर उपस्थित मिलने की हिदायत कर दुधाबेरी से ही रवाना किया गया। सरकारी वाहन टवेरा संख्या आर.जे. 14 यूसी 3352 के चालक श्री प्रेमसिंह को वाहन की तकनिकी खराबी ठीक होने पर ब्यूरो जाप्ता सहित एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण पहुँचने हेतु निर्देशित कर मन् निरीक्षक पुलिस स्वतन्त्र मौतबिरान श्री ओमप्रकाश, श्री ललितसिंह, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड कानि० 44 मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आर जे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम कानि. के दुधाबेरी से वापस एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण पहुँचे। स्वतन्त्र गवाह श्री ललितसिंह को सुपुर्द की गई रिश्वति राशि सफेद कागज में लपेटी हुई अवस्था में ही सुरक्षित अलमारी में रखवाई जाकर अलमारी को लॉक कर चाबी मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखी एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान को गोपनियता रखने एवं आईन्दा तलब करने पर उपस्थित आने की हिदायत देकर रवाना किया। वक्त 10.30 पी.एम. पर सरकारी वाहन टवेरा संख्या आर.जे. 14 यूसी 3352 चालक श्री प्रेमसिंह एवं ब्यूरो जाप्ता श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री संजय कानि. 587, श्री ताराचन्द कानि. 176, श्री मुकेश कानि. 324, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण हाजर आये व श्री प्रेमसिंह चालक अवगत करवाया कि वाहन के कुलिंग सिस्टम में तकनिकी खराबी आने के कारण वाहन गर्म होकर बन्द हो गया था जिस पर काफी समय बाद वाहन के ईंजन का तापमान कम होने पर वाहन पुनः चालू हो गया जिसपर हम दुधाबेरी से रवाना हो कार्यालय हाजर आये हैं। वक्त 10.50 पी.एम. पर सरकारी वाहन टवेरा संख्या आर.जे. 14 यूसी 3352 चालक श्री प्रेमसिंह को एसीबी कार्यालय जोधपुर पहुँचने हेतु रवाना किया गया।

दिनांक 19.01.2022 वक्त 04.42 पी.एम. पर परिवादी श्री चैनसिंह से मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा मोबाईल पर वार्ता करने पर परिवादी री चैनसिंह ने बताया कि मैं मेरे घरेलु कार्य निपटाकर वापिस आ गया हुं, तथा पटवारी

परसाराम जी शेरगढ़ में ही मौजुद है, दिनांक 20.01.2022 को ट्रैप कार्यवाही हो सकती हैं जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को कल दिनांक 20.01.2022 को अम्बेडकर सर्किल शेरगढ़ के पास वक्त 10.00 एएम पर उपस्थित मिलने हेतु हिदायत दी गई। वक्त 04.45 पीएम. तक पूर्व से पाबन्द सुदा स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 20.01.2022 को वक्त 08:00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु जरिये मोबाईल सम्पर्क कर पाबन्द किया एंव गोपनीय कार्यवाही हेतु अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता होने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोधपुर से वार्ता कर कल दिनांक 20.01.2022 को सरकारी वाहन टवेरा मय चालक के वक्त 08:00 एएम पर भिजवाने बाबत निवेदन किया गया था।

दिनांक 20.01.2022 को वक्त 08.10 ए.एम. पर श्री प्रेमसिंह कानि चालक एसीबी कार्यालय जोधपुर से सरकारी वाहन टवेरा संख्या आरजे 14 यूसी 3352 लेकर हाजर आया। वक्त 08.20 एएम. तक पूर्व से पाबन्द सुदा स्वतंत्र गवाह कार्यालय में उपस्थित आये। जिस पर पूर्व में सुरक्षित अलमारी में रखी गई रिश्वती राशि को निकलवाने के लिए मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अलमारी का लॉक खोला जाकर गवाह श्री ललितसिंह से अलमारी में सफेद कागज में लिपटी हुई अवस्था में रखी हुई रिश्वती राशि निकलवा कर सफेद में कागज में लिपटी हुई अवस्था में सुपूर्द कर वक्त 08.30 एएम. तक पूर्व से पाबन्द सुदा परिवादी से जरिये मोबाईल वार्ता कर अम्बेडकर सर्किल शेरगढ़ पर उपस्थित मिलने की हिदायत दी गई एंव मन् श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री ओमप्रकाश, श्री ललीतसिंह, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड कानि 0 44 के मय ट्रैप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रैप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एंव कार्यवाही की पत्रावली जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आर जे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम कानि. एवं सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 3352 चालक श्री प्रेमसिंह एंव ब्यूरो जाप्ता श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री संजय कानि. 587, श्री ताराचन्द कानि. 176, श्री मुकेश कानि. 324, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से शेरगढ़ की तरफ रवाना होकर वक्त 10.25 ए.एम. पर मन् श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के कार्यालय से रवाना सुदा अम्बेडकर सर्किल शेरगढ़ पंहुचा, जहां पर पूर्व से पाबन्द सुदा परिवादी श्री चैनसिंह उपस्थित मिला जिस पर परिवादी श्री चैनसिंह तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री ओमप्रकाश से लिवाई गई तो परिवादी के पास स्वयं के मोबाईल एंव मोटरसाईकिल की चाबी के अलावा कोई राशि एंव दस्तावेज आदि नहीं पाये गये। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री ललितसिंह को पूर्व में सुपूर्द की गई रिश्वती राशि सफेद कागज से निकलवाकर परिवादी के पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाँहिनी जेब में गवाह श्री ललितसिंह से ही रखवाई जाकर परिवादी को हिदायत की गई कि रास्ते में उक्त राशि को हाथ नहीं लगावें एंव आरोपी द्वारा मांगने पर ही अपनी जेब से निकालकर देवें तथा रिश्वती राशि दी जाने के पश्चात आरोपी से हाथ नहीं मिलावें एंव यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दुर से ही हाथ जोड़कर अभिवादन करें। जिस सफेद पेपर में रिश्वती राशि लपेटी हुई थी उक्त सफेद पेपर को रुबरु गवाहान के जलाकर नष्ट किया गया तथा गवाह श्री ललितसिंह के दोनों हाथों को साफ पानी और साबुन से धूलवाये जाकर वक्त: 10:33 एएम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर श्री संजय कानि. को सुपूर्द कर परिवादी श्री चैनसिंह के साथ रिश्वती राशि-आदान प्रदान के दौरान होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु तहसील कार्यालय शेरगढ़ से थोड़ा पहले चालू कर सुपूर्द करने की हिदायत कर परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के रिश्वती राशि आदान-प्रदान स्थान के पास पहुचने हेतु रवाना होकर वक्त: 10:50 एएम तक मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के तहसील कार्यालय शेरगढ़ के आस-पास पंहुच सरकारी वाहनों को सड़क के किनारे गोपनीय रूप से खड़े करवाये जाकर परिवादी गोपनीय इशारे के इंतजार में मुकिम रहे।

दिनांक 20.01.2022 को वक्त: 12:20 पी.एम. तक परिवादी श्री चैनसिंह बिना कोई गोपनीय इशारे किये मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित हुआ जिस पर परिवादी को पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजिटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा, परिवादी ने बताया कि श्री परसाराम पटवारी तहसील कार्यालय शेरगढ़ में अन्य पटवारीगणों के साथ बैठकर कोई कार्य कर रहे हैं, मैंने जिस कमरे में पटवारी श्री परसाराम व अन्य लोग बैठे हैं, उस कमरे की खिड़की में से उन्हें कार्य करते हुवे देखा है, एंव कार्यालय के बाहर तहसीलदार शेरगढ़ स्वयं कुर्सी लगाकर बैठा है, तथा लोगों से कह रहे थे कि शेरगढ़ तहसील को ऑनलाईन करने का कार्य चल रहा है, इसलिये आम आदमी कोई कार्य नहीं होगा आप लोग यहां से चले जाओ। जिस पर मैं भी वहां से रवाना होकर आपके पास आया हुं, तथा परिवादी ने बताया कि कार्यालय समय तक पटवारी परसाराम अन्य लोगों के साथ काम करेगा एंव कार्यालय समय समाप्त होने पर पटवारी मेरे से लेन-देन कर सकता है जिस पर वक्त: 12:30 पीएम तक हालात उच्च अधिकारीयों को निवेदन कर अग्रिम ट्रैप कार्यवाही शाम के समय होने की सम्भावना के मध्य नजर गोपनीयता बनाये रखने हेतु मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहीयान व परिवादी श्री चैनसिंह के शेरगढ़ से सेतरावा रोड़ की तरफ गोपनीय स्थान के लिये रवाना होकर वक्त: 02:30 पीएम तक मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहीयान व परिवादी श्री चैनसिंह के शेरगढ़ से सेतरावा

रोड पर गोपनीय स्थान पर गोपनीयता बनाये रखते हुवे मुकिम हुए। तत्पश्चात वक्तः 05:05 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहीयान व परिवादी श्री चैनसिंह के सेतरावा रोड से तहसील कार्यालय शेरगढ के लिये रवाना होकर वक्तः 06:20 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहीयान व परिवादी श्री चैनसिंह के सेतरावा रोड से रवाना सुदा आईटीआई शेरगढ के सामने पंहुच कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर श्री संजय कानि. को सुपुर्द कर परिवादी श्री चैनसिंह के साथ रिश्वति राशि—आदान प्रदान के दौरान होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु तहसील कार्यालय शेरगढ से थोड़ा पहले चालू कर सुपुर्द करने की हिदायत कर परिवादी की निजी मोटर साईकिल से रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के परिवादी चैनसिंह के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुवें। तत्पश्चात वक्तः 06:40 पीएम पर श्री संजय कानि व परिवादी चैनसिंह मन् निरीक्षक के पास आईटीआई शेरगढ के सामने उपस्थित होकर कानि संजय ने कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑफ अवस्था में पेश किया जो मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा, परिवादी श्री चैनसिंह ने बताया कि तहसील कार्यालय परिसर में स्थित पटवार कार्याल में पटवारी श्री परसाराम उपस्थित नहीं था। इस कारण मेरी पटवारी से कोई वार्ता नहीं हुई है। वक्तः 07:00 पीएम तक आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं होने एवं रात्रि का समय हो जाने के कारण आईन्दा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जाकर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन कर रहबरी हासिल कर परिवादी श्री चैनसिंह को पूर्व में सुपुर्द की गई रिश्वती राशि गवाह श्री ओमप्रकाश से निकलवाई जाकर एक सफेद कागज में लपेटावाकर गवाह श्री ओमप्रकाश के पास ही सुरक्षित रहने दी गई तथा परिवादी ने बताया कि मेरे भांजे की शादी दिनांक 23.01.2022 को होने से मैं कल वहा चला जाऊंगा वहाँ से दिनांक 25.01.2022 को वापस आऊंगा जिस पर परिवादी को वहा से आते ही मोबाईल से सम्पर्क करने व अब तक की कार्यवाही को गोपनीय रखने की हीदायत दी जाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहीयान मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये सरकारी वाहनों आईटीआई शेरगढ से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण के लिये रवाना हुआ तथा वक्तः 09:00 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहीयान मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये सरकारी वाहनों आईटीआई शेरगढ से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण पहुँचे। स्वतन्त्र गवाह श्री ओमप्रकाश को पूर्व में सुपुर्द की गई रिश्वती राशि सफेद कागज में लपेटी हुई अवस्था में ही सुरक्षित अलमारी में रखवाई जाकर अलमारी को लॉक कर चाबी मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखी एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान को गोपनियता रखने एवं आईन्दा तलब करने पर उपस्थित आने की हिदायत देकर रवाना किया। वक्तः 09:15 पीएम पर सरकारी वाहन टवेरा संख्या आर.जे. 14 यूसी 3352 चालक श्री प्रेमसिंह को एसीबी कार्यालय जोधपुर पहुँचने हेतु रवाना किया गया।

दिनांक 26.01.2022 को वक्तः 07.03 पी.एम. पर परिवादी श्री चैनसिंह से लम्बित ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में जरिये मोबाईल वार्ता करने पर परिवादी श्री चैनसिंह ने बताया कि मैं अब मेरे पारिवारिक विवाह समारोह से फारिक हो गया हूँ एवं कल दिनांक 27.01.2022 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जा सकती है। जिस पर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही कल दिनांक 27.01.2022 को किये जाने का निर्णय लिया गया। वक्तः 07.45 पीएम तक ट्रेप कार्यवाही हेतु पूर्व से पाबन्द स्वतन्त्र गवाहान श्री ओमप्रकाश एवं श्री ललीतसिंह से जरिये मोबाईल वार्ता करने पर स्वतन्त्र गवाहान श्री ओमप्रकाश ने कल दिनांक 27.01.2022 को प्रातः 07.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की सहमति दी एवं स्वतन्त्र गवाह श्री ललीत सिंह ने स्वयं के अवकाश में होकर गोपनीय कार्यवाही में उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर करने पर श्री ललीतसिंह कनिष्ठ लिपिक के नियन्त्रक अधिकारी श्री सारंग पाणी अवस्थी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग से जरिये मोबाईल वार्ता कर श्री ललीतसिंह कनिष्ठ लिपिक के स्थान पर अन्य स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया गया। वक्तः 08.05 पीएम तक श्री सारंग पाणी अवस्थी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग ने जरिये मोबाईल वार्ता कर स्वतन्त्र गवाह श्री ललीतसिंह कनिष्ठ सहायक के स्थान पर श्री हेमसिंह भाटी वरिष्ठ सहायक को पाबन्द करने एवं उनके मोबाईल नम्बर से अवगत करवाया जाने पर श्री हेमसिंह भाटी से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर कल दिनांक 27.01.2022 को प्रातः 07.00 ए.एम. पर कार्यालय एसीबी जोधपुर ग्रामीण में उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया एवं कार्यालय के समस्त हाजर जाब्ता को कल दिनांक 27.01.2022 को प्रातः 07.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत की गई तथा गोपनीय कार्यवाही हेतु अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता होने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर से वार्ता कर कल दिनांक 27.01.2022 को प्रातः 07.00 ए.एम. पर सरकारी वाहन मय चालक उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया गया।

दिनांक 27.01.2022 को वक्तः 07.20 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाह श्री ओम प्रकाश पुत्र स्व० श्री वीरुमल जी उम्र 49 जाति सिंधी निवासी 2 छ 25 मधुबन हाउसिंग बोर्ड जोधपुर पुलिस थाना भगत की कोठी, जोधपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग क्षेत्र (प्रथम), जोधपुर, मोबाईल नम्बर 8385822836 एवं श्री हेमसिंह भाटी पुत्र स्व. श्री चेतन स्वरूप भाटी उम्र 31 वर्ष

जाति माली निवासी 22क निराली ढाणी के पिछे भट्टी की बावड़ी पुलिस थाना चोपासनी हाउसिंग बोर्ड कमिशनरेट जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियन्ता विभाग क्षेत्र (प्रथम), जोधपुर, मोबाईल नम्बर 8233321000 उपस्थित आये। गवाह श्री हेमसिंह भाटी को परिवादी श्री चैनसिंह द्वारा पेश रिपोर्ट मय दस्तावेज का अवलोकन करवाया जाकर आरोपी श्री परसाराम पटवारी एवं परिवादी श्री चैनसिंह के मध्य दिनांक 18. 12.2021 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के संबंध मे हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड है। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा से निकाल कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर उक्त रिकॉर्ड वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश स्वतंत्र गवाह को सुनाये गये तो आरोपी द्वारा वक्त सत्यापन 1200/- रुपये रिश्वती राशि प्राप्त करने हेतु सहमति देने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात गवाह श्री हेमसिंह भाटी द्वारा परिवादी श्री चैनसिंह से परिवाद में अंकित तथ्यो से संतुष्ट होने पर ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की मौखिक सहमति प्रदान कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं संलग्न दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर किये। चूंकि आज परिवादी कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता एवं फर्द पेशकशी पूर्व में तैयार की जा चुकी है। अतः गवाह श्री हेमसिंह को पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी का अवलोकन करवाया गया एवं फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की किया—अभिक्रिया को भली—भाति मौखिक रूप से समझाया गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वीच ऑफ कर अपनी सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा गया। वक्त: 07.30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री ओमप्रकाश से सुरक्षित अलमारी में रखी गई रिश्वती राशि को निकलवाने हेतु मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अलमारी का लॉक खोला जाकर गवाह श्री ओमप्रकाश से अलमारी में सफेद कागज में लिपटी हुई अवस्था में रखी हुई रिश्वती राशि निकलवा कर सफेद कागज में लिपटी हुई अवस्था में सुपूर्द की गई। वक्त: 07.40 ए.एम. पर श्री प्रेमसिंह कानि. चालक एसीबी कार्यालय जोधपुर से सरकारी वाहन टवेरा संख्या आर.जे. 14 यूसी 3352 लेकर हाजर आया। वक्त: 08.00 ए.एम. तक पूर्व से पाबन्द सुदा परिवादी से जरिये मोबाईल वार्ता कर अम्बेडकर सर्किल शेरगढ पर उपस्थित मिलने की हिदायत दी गई एवं मन् श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री ओमप्रकाश, श्री हेमसिंह भाटी, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड कानि। 44 मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आर जे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम कानि. एवं सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 3352 चालक श्री प्रेमसिंह एवं ब्यूरो जाप्ता श्री रामकुमारसिंह कानि. 493, श्री संजय कानि. 587, श्री ताराचन्द कानि. 176, श्री मुकेश कानि. 324, श्री रामकिशोर कानि. 110 एवं श्री वचनाराम कानि। 447 के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से शेरगढ की तरफ रवाना हुए। वक्त: 11.10 ए.एम तक मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के कार्यालय से रवाना सुदा न्यू शेरगढ आवासीय कॉलोनी, शेरगढ पंहचा, जहां पर पूर्व से पाबन्दसुदा परिवादी श्री चैनसिंह उपस्थित मिला, जिस पर परिवादी श्री चैनसिंह तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री हेमसिंह भाटी से लिवाई गई तो परिवादी के पास स्वयं के मोबाईल एवं मोटरसाइकिल की चाबी के अलावा कोई राशि एवं दस्तावेज आदि नहीं पाये गये। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री ओमप्रकाश को पूर्व में सुपूर्द की गई रिश्वती राशि सफेद कागज से निकलवाकर परिवादी के पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाँहिनी जेब में गवाह श्री ओमप्रकाश से ही रखवाई जाकर परिवादी को हिदायत की गई कि रास्ते में उक्त राशि को हाथ नहीं लगावें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही अपनी जेब से निकालकर देंवे तथा रिश्वती राशि दी जाने के पश्चात आरोपी से हाथ नहीं मिलावें एवं यदि अभिवादन की आवश्यकता पडे तो दुर से ही हाथ जोड़कर अभिवादन करें। जिस सफेद पेपर में रिश्वती राशि लपेटी हुई थी उक्त सफेद पेपर को रुबरू गवाहान के जलाकर नष्ट किया गया तथा गवाह श्री ओमप्रकाश के दोनों हाथों को साफ पानी और साबुन से धुलवाये जाकर वक्त: 11.15 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर श्री संजय कानि. को सुपूर्द कर परिवादी श्री चैनसिंह के साथ रिश्वती राशि—आदान प्रदान के दौरान होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु तहसील कार्यालय शेरगढ से थोड़ा पहले चालू कर सुपूर्द करने की हिदायत कर परिवादी की निजी मोटरसाइकिल से रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के रिश्वती राशि आदान—प्रदान स्थान के पास पहुचने हेतु रवाना होकर वक्त: 11.20 ए.एम.तक मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के तहसील कार्यालय शेरगढ के आस—पास पंहुच सरकारी वाहनों को सड़क के किनारे गोपनीय रूप से खड़े करवाये जाकर परिवादी गोपनीय इशारे के इंतजार में मुकिम रहे।

दिनांक 27.01.2022 को वक्त 11.33 ए.एम. पूर्व निर्धारित गोपनीय इशारा अपने मोबाईल नम्बर 9571437309 से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर 9928855477 पर काल कर बताया कि पटवारी जी मिल गये हैं और उन्होंने मेरे से पैसे ले लिये हैं। जिस पर परिवादी का इशारा मिलते ही मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाब्ता तहसील कार्यालय परिसर शेरगढ में पहुँचे तो तहसील कार्यालय के खुले चौक में परिवादी श्री चैनसिंह उपस्थित मिला। जिससे पूर्व में दिया गया डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा। डिजिटल वॉयस मे रिकॉर्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट रुबरू स्वतन्त्र गवाहान के तैयार की जावेगी। परिवादी ने तहसील कार्यालय के खुले चौक में मोटर साइकिल पर लाल जैकेट पहने व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यही व्यक्ति श्री परसराम पटवारी है। जिसने मेरे से अभी—अभी

1,000/- रुपये रिश्वती राशि प्राप्त कर अपने दाहिने हाथ में लेकर अपने पहनी हुई जींस पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब में रखे हैं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने मय ब्यूरो जाब्ता एवं स्वतन्त्र गवाहान के उक्त लाल जैकेट पहने व्यक्ति को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना एवं हमरायान का परिचय दिया जाकर उक्त व्यक्ति का परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्री परसराम पुत्र श्री बिहारीलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मारकपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर हाल पटवारी, पटवार मण्डल शेरगढ़ अतिरिक्त कार्यभार सिहान्दा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर होना बताया उक्त व्यक्ति का दाहिना हाथ कलाई के उपर से श्री वचनाराम कानि एवं बॉया हाथ कलाई के उपर से श्री ताराचन्द कानि से सुरक्षा की दृष्टि से पकड़वाये गये। तत्पश्चात आरोपी से परिवादी की तरफ इशारा कर पूछा गया कि क्या आप इसे जानते हैं जिस पर आरोपी ने बताया कि हाँ मैं इसे जानता हूँ ये चैनसिंह है। जिस पर आरोपी से पूछा कि क्या आपने अभी-अभी श्री चैनसिंह से पैसे लिये हैं। इस पर आरोपी श्री परसराम ने कहा कि श्री चैनसिंह द्वारा अपनी जमीन में से कुछ हिस्सा ग्राम पंचायत हनवन्तनगर के पक्ष में दान किया था जिसका म्यूटेशन भरने व म्यूटेशन आनलाईन करने की एवज में अपनी इच्छा से दिये हैं। जो 1,000/- रुपये अभी-अभी श्री चैनसिंह से प्राप्त किये हैं। जो मेरे पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब में रखे हुए हैं। जिस पर पास ही खड़े परिवादी श्री चैनसिंह ने कहा कि मेरे द्वारा मेरे हिस्से की कुछ जमीन ग्राम पंचायत हनवन्तनगर के पक्ष में दान की गई थी उसका म्यूटेशन ग्राम पंचायत के पक्ष में दर्ज कर आनलाईन करने की एवज में मेरे से मांग कर प्राप्त किये हैं। तत्पश्चात चूंकि मौका स्थल खुला चौक होने से सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही तहसील कार्यालय शेरगढ़ जिला जोधपुर में करने का निर्णय लिया जाकर आरोपी के दोनों हाथ यथा स्थिति में पकड़े रहने देते हुए मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान व आरोपी के मौका से तहसील कार्यालय के बरामदा में पहुँचकर तहसील स्टाफ से तहसीलदार शेरगढ़ के बारे में पूछने पर तहसीलदार का मिटिंग में जोधपुर जाना बताया जिस पर अन्य वरिष्ठ अधिकारी के बारे में पूछने पर श्री दशरथ सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तहसील कार्यालय शेरगढ़ जिला जोधपुर का होना बताया। जिस पर श्री दशरथसिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को तलब कर उन्हे मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमराहियान का परिचय देकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही तहसील कार्यालय शेरगढ़ में करने की मौखिक स्वीकृति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। कार्यवाही के निरन्तर मे आरोपी श्री परसराम पटवारी के पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब से स्वतन्त्र गवाह श्री हेमसिंह भाटी से रिश्वती राशि निकलवाकर गिनवाई गई तो उक्त रिश्वती राशि 1,000/- रुपये 500-500 रु. के 2 नोट होना पाये गये। रिश्वती राशि 1,000/- रुपये 500-500 रु. के 2 नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी के नम्बरों से करवाने हेतु फर्द पेशकशी गवाह श्री ओमप्रकाश को सुपुर्द कर गवाह श्री हेमसिंह भाटी द्वारा नोटों के नम्बर बोल बोलकर फर्द पेशकशी से मिलान करवाया जाने पर फर्द में अंकित क्रम संख्या 01 से 02 तक के नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये।

आरोपी के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर दो साफ कॉच की गिलास ट्रेप बॉक्स से निकालकर दोनों गिलासों में तहसील कार्यालय शेरगढ़ से पीने का पानी मंगवाकर भरवाया गया तथा दोनों गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री परसराम पटवारी के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगुरे को ढूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर झाईनुमा हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी उपस्थितान ने झाईनुमा हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त झाईनुमा हल्का गुलाबी रंग के धोवन को आधा-आधा दो कांच की साफ शिशियों में भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क आरएच-1, आरएच-2 अंकित किया गया। इसी तरह दूसरी कॉच की गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री परसराम पटवारी के बायें हाथ की अंगूलियों व अंगुरे को ढूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया, जिसे सभी उपस्थितान ने मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त मटमैला रंग के धोवन को भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क एलएच-1, एलएच-2 अंकित किया गया। आरोपी श्री परसराम पटवारी के पहने हुए जींस पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब के पास है, को गवाह से प्राप्त कर बरामदा रिश्वती राशि को कब्जा ब्यूरो लिया जाकर एक सफेद कपड़े में कोने से सिलाई कर सील चिट कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री परसराम के पहनी हुई पेन्ट को उत्तरवाकर उसके आवास से पहनने हेतु दुसरी जींस मंगवाकर पहनने हेतु दिया जाकर उत्तराई गई जींस पेन्ट का धोवन लिया जाने हेतु एक कॉच की गिलास को साबुन व पानी से धुलवाकर साफ पीने का पानी भरवाया गया। उक्त साफ पानी से भरी गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी के पहनी हुई हुए जींस पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब जहां से रिश्वती राशि 1,000/- रु. बरामद हुई, उक्त जेब को उलटवाकर उक्त रंगहीन घोल में ढूबोकर

धुलवाया गया तो उक्त रंगहीन धोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितान ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गहरे गुलाबी रंग के धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरवाकर कागज के चर्स्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया गया तथा उक्त जींस पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब को सुखाकर उस पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को कपड़े की थैली में डालकर थैली पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर सील्ड मोहर कर थैली पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये व थैली पर मार्क-पी अंकित किया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान ही थानाधिकारी, पुलिस थाना शेरगढ़ से एक पुलिस कानिंग एवं महिला पुलिस कानिंग को तलब करने के पर थानाधिकारी द्वारा अवगत करवाया कि पुलिस थाना शेरगढ़ में महिला कानिंग उपस्थित नहीं होकर वृताधिकारी कार्यालय, बालेसर में महिला कानिंग उपस्थित है। जिस पर वृताधिकारी, बालेसर जिला जोधपुर से जरिये मोबाईल वार्ता कर महिला कानिंग को तहसील कार्यालय बालेसर भिजवाने हेतु निवेदन किया गया, जो दौराने कार्यवाही पुलिस थाना शेरगढ़ से श्री सावलराम गोदारा कानिंग एवं श्रीमति उषा कंवर वृताधिकारी, बालेसर से तहसील कार्यालय में उपस्थित आये। वक्त 2.15 पी.एम. पर श्री दशरथसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी तहसील कार्यालय शेरगढ़ को परिवादी श्री चैनसिंह पुत्र श्री रेंवत सिंह उम्र 30 साल जाति राजपूत निवासी ग्राम पंचायत हनवन्त नगर तह 0 शेरगढ़ जिला जोधपुर द्वारा अपनी स्वयं की जमीन का कुछ हिस्सा ग्राम पंचायत हनवन्त नगर के पक्ष में दान करने से सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाने हेतु तहसीलदार शेरगढ़ के नाम की तहरीर सुपुर्द की गई। वक्त 02.45 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान परिवादी श्री चैनसिंह, दोनों गवाहान, ब्यूरो जाब्ता के परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका मूर्तिब कर शामिल रखने नोट किया गया। वक्त 03.10 पी.एम. तक आरोपी श्री परसराम पुत्र श्री बिहारीलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मारकपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर हाल पटवारी, पटवार मण्डल शेरगढ़ अतिरिक्त कार्यभार सिहान्दा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री चैनसिंह द्वारा अपने स्वयं के नाम की जमीन का कुछ हिस्सा ग्राम पंचायत हनवन्त नगर के पक्ष में दान करने पर श्री चैनसिंह द्वारा ग्राम पंचायत हनवन्त नगर के पक्ष में दान की जमीन का गई पूछताछ व हाथ धोवन एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री परसराम हाल पटवारी, पटवार मण्डल शेरगढ़ अतिरिक्त कार्यभार सिहान्दा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री चैनसिंह द्वारा अपने स्वयं के नाम की जमीन का कुछ हिस्सा ग्राम पंचायत हनवन्त नगर के हक में म्यूटेशन भरकर आनलाईन करने की एवज में 2,000/- रुपये रिश्वति राशि प्राप्त करने हेतु सहमत होकर वक्त सत्यापन 400/- रुपये प्राप्त करना, सत्यापन से पूर्व 400/- रुपये प्राप्त करना एवं बाद सत्यापन ट्रैप कार्यवाही से पूर्व 200/- रुपये प्राप्त करना तथा वक्त ट्रैप कार्यवाही 1,000/- रुपये प्राप्त करना जो आरोपी के पहनी हुई जींस पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब में रखना, जहाँ से रिश्वती राशि बरामद होना जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री परसराम पुत्र श्री बिहारीलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मारकपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर हाल पटवारी, पटवार मण्डल शेरगढ़ अतिरिक्त कार्यभार सिहान्दा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर को जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना मूर्तिब कर गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात वक्त 3.40 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त ब्यूरो जाब्ता, स्वतन्त्र गवाहान, सरकारी वाहन बोलेरो चालका लालराम कानिंग एवं सरकारी वाहन टवेरा कानिंग चालक श्री प्रेमसिंह के मय फर्दात के मुताबिक जब्तशुदा वजह सबूत, प्रादर्श, ट्रैप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर सहित गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री परसराम पुत्र श्री बिहारीलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मारकपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर हाल पटवारी, पटवार मण्डल शेरगढ़ अतिरिक्त कार्यभार सिहान्दा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर एवं परिवादी श्री चैनसिंह को हमराह लेकर ए.सी.बी. कार्यालय जोधपुर ग्रामीण एवं आरोपी के निवास किराये के निवास स्थान की खाना तलाशी के लिए श्री सावलराम गोदारा कानिंग एवं श्रीमति उषा कंवर महिला कानिंग 743 सहित रवाना हुआ। वक्त 04.10 पी.एम. तक मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त ब्यूरो जाब्ता, स्वतन्त्र गवाहन, गिरफ्तार शुदा आरोपी परसराम पटवारी एवं श्री सावलराम गोदारा कानिंग एवं श्रीमति उषा कंवर महिला कानिंग 743 की उपस्थिति में आरोपी के किराये के रहवासीय मकान रावला बास, शेरगढ़ जिला जोधपुर की सरसरी तौर पर तलाशी ली गई। आरोपी किराये के मकान में खाने-पीने के साधारण सामान व पहनने के कपड़े इत्यादि के अलावा कोई सामग्री नहीं होने के कारण हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन कर फर्द खाना तालाशी मूर्तिब नहीं करने का निर्णय लिया गया। वक्त 04.40 पी.एम. तक श्री सावलराम गोदारा कानिंग एवं श्रीमति उषा कंवर महिला कानिंग 743 को अपनी जाय तैनाती पर उपस्थिति देने हेतु रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम है०का०, श्री सजंय कानिंग व गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री परसराम पुत्र श्री बिहारीलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मारकपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर हाल पटवारी, पटवार मण्डल शेरगढ़ अतिरिक्त कार्यभार सिहान्दा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर सरकारी वाहन बोलेरो सं० आरजे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालराम के मय मय फर्दात के मुताबिक जब्तशुदा वजह सबूत, प्रादर्श, ट्रैप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर सहित एवं जरिये सरकारी वाहन टवेरा आरजे 14 यूसी 3352 चालक श्री प्रेमसिंह कानिंग व ब्यूरो जाब्ता श्री रामकुमार सिंह कानिंग, श्री ताराचन्द, श्री राम किशोर कानिंग, श्री मुकेश कानिंग, बचनाराम कानिंग एवं परिवादी श्री चैनसिंह के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण के लिये रवाना हुए। वक्त 05.55 पी.एम. तक सरकारी वाहन बोलेरो के


पीछे चल रहे सरकारी वाहन टवेरा सं0 आरजे 14 यूटी 3352 में बैठे ब्यूरो जाब्ता के कानि0 श्री राम कुमार ने जरिये मोबाईल कॉल कर सरकारी वाहन टवेरा में तकनिकी खराबी होने से वाहन बन्द होने बाबत अवगत करवाया जाने पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा वार्ता कर वाहन की तकनिकी खराबी ठीक करवाने हेतु नजदीकी स्थानीय मिस्ट्री से सम्पर्क कर वाहन की तकनिकी खराबी ठीक होने पर रवाना हो कार्यालय पहुंचने हेतु निर्देशित किया। वक्त 09.25 पी.एम. तक मन् निरीक्षक पुलिस जरिये सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक, ब्यूरो जाब्ता, दोनों स्वतन्त्र गवाहन एवं गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री परसराम पुत्र श्री बिहारीलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मारकपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर हाल पटवारी, पटवार मण्डल शेरगढ़ अतिरिक्त कार्यभार सिहान्दा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर सहित कार्यालय पहुंच जब शुदा रिश्वती राशि, आरोपी के दोनों हाथों के धोवन के प्रादर्श आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1, एलएच 2, आरोपी पहनी हुई पेन्ट जिसकी जेब में से रिश्वती बरामद की गई थी के लिये गये धोवन मार्क पी-1, पी-2, की सील्डशुदा शिशियां, पहनी हुई पेन्ट का सील्डशुदा पैकेट मार्क-पी आदि माफिक फर्दात के मालखाना प्रभारी श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया जाकर वक्त 10.00 पी.एम. पर श्री ताराचन्द कानि 176 जरिये सरकारी वाहन बोलेरो संख्या आर.जे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम के आरोपी श्री परसराम पुत्र श्री बिहारीलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मारकपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर हाल पटवारी, पटवार मण्डल शेरगढ़ अतिरिक्त कार्यभार सिहान्दा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी आयुक्तालय जोधपुर में सुपुर्द करने हेतु रवाना किया जो वक्त 10.25 पी.एम. पर आरोपी श्री परसराम पटवारी को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी आयुक्तालय जोधपुर में सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर हाजर कार्यालय आये व प्राप्ति रसीद प्रस्तुत की जो बाद अवलोकन शामिल रनिंग नोट की गई। वक्त 10.30 पी.एम. तक सरकारी वाहन टवेरा सं0 आरजे 14 यूटी 3352 में बैठे ब्यूरो जाब्ता एवं परिवादी श्री चैनसिंह सरकारी वाहन टवेरा में तकनिकी खराबी ठीक होने पर रवाना हो कार्यालय हाजिर आये। तत्पश्चात वक्त 10.35 पी.एम. तक परिवादी श्री चैनसिंह एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री चैनसिंह एवं आरोपी श्री परसराम पुत्र श्री बिहारीलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मारकपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर हाल पटवारी, पटवार मण्डल शेरगढ़ अतिरिक्त कार्यभार सिहान्दा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर के मध्य हुई रिश्वती राशि की मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 18.12.2021 को वक्त मांग सत्यापन हुई रुबरु वार्ता जो कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप को दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओं की कार्यालय के कम्प्यूटर में कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार करना शुरू की गई। वक्त 11.30 पी.एम. तक परिवादी श्री विजयसिंह एवं आरोपी श्री परसराम पटवारी के मध्य दि. 18.12.2021 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को सुन सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से दो सीड़ीया तैयार की जाकर एक सी.डी. को मूल सीड़ी मानकर मूल सीड़ी को एक कपड़े की थैली में सिलाई कर, सील चस्पा कर थैली पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दूसरी डब सीड़ी को खुला ही रहने दिया गया। मूल शील्ड सीड़ी का पैकेट एवं खुली डब सीड़ी को कार्यालय हाजा के हैड कानि. श्री ताराचन्द मु.आ 112 को सुपुर्द कर, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना जमा करवाया गया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को बाद कार्यवाही के इजाजत वापसी दी जाकर वक्त 09.30 ए.एम. पर श्री ताराचन्द हैड कानि. 112,

दिनांक 28.01.2022 को वक्त 7.10 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहन श्री ओम प्रकाश, श्री हेमसिंह भाटी एवं परिवादी श्री चैनसिंह उपस्थित आये जिस पर वक्त 08.15 ए.एम. तक परिवादी श्री चैनसिंह एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री चैनसिंह एवं आरोपी श्री परसराम पटवारी के मध्य दिनांक 27.01.2022 वक्त रिश्वती राशि लेन-देन हुई रुबरु वार्ता जो कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप को दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओं की कार्यालय के कम्प्यूटर में कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार करना शुरू की गई। वक्त 09.15 ए.एम. तक परिवादी श्री चैनसिंह एवं आरोपी श्री परसराम पटवारी के मध्य दि. 27.12.2021 को रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप को सुन सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से दो सीड़ीया तैयार की जाकर एक सी.डी. को मूल सीड़ी मानकर मूल सीड़ी को एक कपड़े की थैली में सिलाई कर, सील चस्पा कर थैली पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दूसरी डब सीड़ी को खुला ही रहने दिया गया। मूल शील्ड सीड़ी का पैकेट एवं खुली डब सीड़ी को कार्यालय हाजा के हैड कानि. श्री ताराचन्द मु.आ 112 को सुपुर्द कर, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना जमा करवाया गया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को बाद कार्यवाही के इजाजत वापसी दी जाकर वक्त 09.30 ए.एम. पर श्री ताराचन्द हैड कानि. 112,

श्री वचनाराम कानि० जरिये सरकारी वाहन बोलेरो संख्या आर.जे 14 यूसी 4995 चालक श्री लालाराम के आरोपी श्री परसराम पुत्र श्री बिहारीलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मारकपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर हाल पटवारी, पटवार मण्डल शेरगढ़ अतिरिक्त कार्यभार सिहान्दा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर को पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड कमिशनरेट जोधपुर से प्राप्त कर आरोपी का कोविड-19 परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु रवाना किया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री परसराम पुत्र श्री बिहारीलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मारकपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर हाल पटवारी, पटवार मण्डल शेरगढ़ अतिरिक्त कार्यभार सिहान्दा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री चैनसिंह से उसके द्वारा ग्राम पंचायत हनवन्तनगर के पक्ष में दान की गई जमीन का म्यूटोशन भरकर आनलाईन करने की एवज में 2,000/- रुपये रिश्वति राशि प्राप्त करने हेतु सहमत होकर वक्त सत्यापन 400/- रुपये प्राप्त करना, सत्यापन से पूर्व 400/- रुपये प्राप्त करना एवं बाद सत्यापन ट्रेप कार्यवाही से पूर्व 200/- रुपये प्राप्त करना तथा वक्त ट्रेप कार्यवाही 1,000/- रुपये प्राप्त करना जो आरोपी के पहनी हुई जींस पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब में रखना, जहाँ से रिश्वती राशि बरामद होना पाया गया है।


आरोपी श्री परसराम पुत्र श्री बिहारीलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मारकपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर हाल पटवारी, पटवार मण्डल शेरगढ़ अतिरिक्त कार्यभार सिहान्दा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर के दाहिने हाथ की अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवन में झाइनुमा हल्का गुलाबी रंग, आरोपी के बाये हाथ की अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवन में मटमैला रंग एवं आरोपी के पहनी हुई जींस पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब जॉहा से रिश्वती राशि बरामद हुई थी के धोवन में गहरा गुलाबी रंग आना, 1,000/- रुपये रिश्वति राशि आरोपी के पहनी हुई जींस पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब से बरामद होना। इस तरह श्री परसराम पुत्र श्री बिहारीलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मारकपुर तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर हाल पटवारी, पटवार मण्डल शेरगढ़ अतिरिक्त कार्यभार सिहान्दा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते क्रमांकन जरिये ई-मेल प्रेषित की जा रही है।

  
(अमरा राम खोखर)

निरीक्षक पुलिस  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो  
जोधपुर द्वारा

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमराराम खोखर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में अभियुक्त श्री परसराम, पटवारी, पटवार मण्डल शेरगढ अतिरिक्त कार्यभार सिहान्दा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 24/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

  
28.1.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 207-11 दिनांक 28.1.2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जोधपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर।

  
28.1.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।